भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 746

दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

आईसीडीएस योजना

746. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

श्री संजय दीना पाटिल:

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

श्री अमर शरदराव काले:

श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में आईसीडीएस योजना के अंतर्गत नये आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में स्थापित नये आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है;

(घ) महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आंगनवाड़ी केंद्रों की औसत संख्या कितनी है;

(ड.) क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच या विभिन्न जिलों के बीच स्थापित केंद्रों के घनत्व में कोई असमानता है;

(च) क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा लंबे समय से उनके पारिश्रमिक में वृद्धि की मांग से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान स्थिति क्या है; और

(छ) इस संबंध में उक्त पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 [पहले एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के रूप में जाना जाता था] वर्ष 1975 में शुरू किया गया था। अब इसे मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (इसके बाद मिशन पोषण 2.0 के रूप में संदर्भित) के रूप में नया रूप दिया गया है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के क्षेत्र में आता है। महाराष्ट्र राज्य को कुल 110556 आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 19793 एडब्ल्यूसी शहरी क्षेत्रों में और 90736 एडब्ल्यूसी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।

महाराष्ट्र राज्य से 183 नए एडब्ल्यूसी खोलने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। मिशन पोषण 2.0 के दिशानिर्देशों के अनुसार, एडब्ल्यूसी की मंजूरी के लिए जनसंख्या मानदंड निम्नानुसार हैं:

आंगनवाड़ी केंद्र	जनसंख्या	आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या
ग्रामीण/शहरी परियोजनाओं के लिए	400-800	1 एडब्ल्यूसी
	800-1600	2 एडब्ल्यूसी
	1600-2400	3 एडब्ल्यूसी
	तत्पश्चात 800 के गुणकों में	1 एडब्ल्यूसी
जनजातीय/नदी/रेगिस्तान, पहाड़ी या अन्य कठिन क्षेत्रों/परियोजनाओं के लिए	300-800	1 एडब्ल्यूसी

पीएम-जनमन के लिए	लगभग 100	1 एडब्ल्यूसी

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों को, जो पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना किराए पर चल रहे हैं, उन्हें पास के प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ भी स्थान उपलब्ध हो, सह-स्थापित करें।

माननीय प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर, 2023 को पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य 18 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले 75 विशेष रूप से संवेदनशील आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) का लक्षित विकास करना है। यह मिशन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण पहलों पर केंद्रित है। इस मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य को पीएम-जनमन के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 70 आंगनवाड़ी केंद्रों और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 75 आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी है।

(च) और (छ): आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाएं (एडब्ल्यूएच) स्थानीय समुदाय से "मानद कार्यकर्ता" हैं जो समुदाय की मदद के लिए बाल देखरेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है। वर्तमान में मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में एडब्ल्यूडब्ल्यू को 4,500/- रुपये प्रति माह और एडब्ल्यूएच को 2,250/- रुपये प्रति माह मानदेय प्रदान किया जाता है; मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में एडब्ल्यूडब्ल्यू को 3,500/- रुपये प्रति माह मानदेय प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, एडब्ल्यूडब्ल्यू को 500/- रुपये प्रति माह तथा एडब्ल्यूएच को 250/- रुपये प्रति माह का कार्य-निष्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय भी दे रहे हैं । इसके अतिरिक्त, इन कार्मिकों के लिए पदोन्नति, सामाजिक सुरक्षा लाभ, यूनिफ़ॉर्म इत्यादि के लिए विभिन्न कदम/पहल की गई हैं। इन कार्यकर्त्रियों को प्रदान किए गए राज्यवार अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वयं के स्रोतों से दिए जा रहे अतिरिक्त प्रोत्साहन/मानदेय (प्रति माह) रु.में	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री	आंगनवाड़ी सहायिका
1	आंध्र प्रदेश	7000	4750
2	बिहार	2500	1725
3	छत्तीसगढ	5500	2750
4	गोवा	5500 (0-10 वर्ष का अनुभव), 6000 (10-15 वर्ष का अनुभव), 8000 (15 से 20 वर्ष का अनुभव) 10000 (20-25 वर्ष का अनुभव) और 12000 (25 वर्ष और इससे ज्यादा का अनुभव)	3000 (0-5 वर्ष का अनुभव), 3500 (5-10 वर्ष का अनुभव), 4000 (10 से 15 वर्ष का अनुभव) 4500 (15-20 वर्ष का अनुभव) 5250 (20 से 25 वर्ष का अनुभव) और 6000 (25 वर्ष और इससे ज्यादा का अनुभव)
5	गुजरात	5500	3250
6	हरियाणा	9500 (एडब्ल्यूडब्ल्यू 10 वर्ष से अधिक का अनुभव) 9000 (एडब्ल्यूडब्ल्यू 10 वर्ष से कम सेवा/अनुभव) 9000 (मिनी एडब्ल्यूडब्ल्यू) 4000 प्ले स्कूलों (अपग्रेडेड आंगनवाड़ी केन्द्रों) में कार्यरत 4000 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 1000 रुपए प्रति माह अतिरिक्त भुगतान किया जाता है।	5250
7	हिमाचल प्रदेश	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 5000 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 2950	3100
8	जम्मू एवं कश्मीर	600	300

9	झारखंड	5000 (मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र) और 6000 (मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र)	2500
10	कर्नाटक	6500	4000
11	केरल	5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली को 8000/- रुपये तथा 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली को 8500/- रुपये	5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली का 6250/- रुपये और 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली का 6750/- रुपये
12	मध्य प्रदेश	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 8500 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3750	4250
13	महाराष्ट्र	5500 (10 वर्ष तक का अनुभव) 5800 (11 से 20 वर्ष का अनुभव), 5900 (21 से 30 वर्ष का अनुभव), 6000 (31 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)	3250 (10 वर्ष तक का अनुभव) 3415 (11 से 20 वर्ष का अनुभव), 3470 (21 से 30 वर्ष का अनुभव), 3525 (31 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)
14	ओडिशा	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3000 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 1875	1500
15	पंजाब	5000 (प्रति वर्ष 500 रुपये की वृद्धि)	3100 (प्रति माह 250 की वृद्धि)
16	राजस्थान	4554	3036
17	तमिलनाडु	10502	6596
18	तेलंगाना	9150	5550
19	उत्तर प्रदेश	1500	750
20	उत्तराखंड	4800-एडब्लूडब्लू और 2750-मिनी एडब्लूडब्लू	3000
21	पश्चिम बंगाल	3750	4050
22	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7500	5750
23	चंडीगढ़	3600	1800

24	दादरा एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव	1000	600
25	लक्षद्वीप	5500	4750
26	दिल्ली	8220	4560
27	पुदुचेरी	1950	2125
28	अरुणाचल प्रदेश	16.01.2024 से 2000+ 1000 अर्थात	16.01.2024 से 2000+ 1000 अर्थात
29	असम	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए 2000 और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए 1250	1000
30	मणिपुर	1000	600
31	मेघालय	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3000 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 1500	1000
32	मिजोरम	450	250
33	नागालैंड	0	0
34	सिक्किम	7000	4500
35	त्रिपुरा	5946(अधिकतम) और 3500 (न्यूनतम)	4218 (अधिकतम) और 2750 (न्यूनतम)
36	लद्दाख	1300	650

****